इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 81] भोपाल, बुधवार, दिनांक 12 फरवरी 2014—माघ 23, शक 1935

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 फरवरी 2014

क्र. एफ. बी-4-10-2013-2-पांच (11).—रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) की धारा 78 और 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 818-635 दिनांक 24 फरवरी, 1975 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, रजिस्ट्रीकरण फीस की सारणी में, उपशीर्ष ''छूट और कटौतियां'' के अधीन, अनुच्छेद बाईस में, मद संख्या 38 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित मद संख्या और उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाए, अर्थात् :—

''38. नर्मदा घाटी परियोजनाओं के कारण विस्थापित परिवार के सदस्य के पक्ष में भूमि अर्जित करने के लिये निष्पादित किए गए विक्रय विलेख / पट्टा विलेख पर प्रभार्य रजिस्ट्रीकरण फीस की, निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए छूट प्रदाय की जाएगी, अर्थात् :—

(क) परियोजना क्षेत्र के भू-अर्जन अधिकारी का प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाए, जिसमें उसकी भूमि एवं अन्य अचल सम्पत्ति के लिये मदवार मुआवजे की रकम, विशेष पुनर्वास अनुदान, पुनर्वास अनुदान आदि को सम्मिलित करते हुए कुल राशि दर्शाई गई हो. किन्तु सामान के स्वयं के द्वारा परिवहन करने के लिये दी जाने वाली परिवहन शुल्क की राशि को सम्मिलित नहीं किया जाएगा;

(ख) विस्थापित व्यक्ति द्वारा पुनर्वास की प्रक्रिया के दौरान मध्यप्रदेश राज्य में किसी भी स्थान पर कृषि भूमि या / तथा अन्य कोई अचल सम्पत्ति क्रय की गई हो;

(ग) उपरोक्त खण्ड (क) एवं (ख) की स्थिति अन्तरण विलेख में स्वत: अभिव्यक्त की गई हो;

(घ) छूट की पात्रता भूमि तथा / या अचल सम्पत्ति के मूल्य पर या उक्त विस्थापित व्यक्ति को मुआवजे, विशेष पुनर्वास अनुदान, पुनर्वास अनुदान, वित्तीय सहायता आदि के रूप में भुगतान की गई प्रतिफल की कुल राशि पर, इनमें से जो भी कम हो, प्रभार्य रजिस्ट्रीकरण शुल्क तक सीमित होगी;

(ङ) विलेख पर प्रभार्य रजिस्ट्रीकरण शुल्क की प्रतिपूर्ति, उप पंजीयक द्वारा प्रस्तुत मांग-पत्र के आधार पर नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग को की जाएगी;

(च) पुनर्वास नीति में यथापरिभाषित विस्थापित परिवार को ही छूट की पात्रता होगी;

(छ) ऐसा भूमिहीन विस्थापित व्यक्ति एवं वयस्क पुत्र भी जो पुनर्वास अनुदान, उत्पादक सम्पत्ति के क्रय के लिये दी जाने वाली वित्तीय सहायता, पुनर्वास स्थल पर विकसित आवासीय भू-खण्ड के लिये दी जाने वाली वित्तीय सहायता के रूप में प्राप्त विभिन्न राशियों से कृषि भूमि तथा / या अन्य अचल सम्पत्ति क्रय करना चाहता है, उक्त छूट के लिये हकदार होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 12 फरवरी 2014

क्र. एफ. बी-4-10-2013-2-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. बी-4-10-2013-2-पांच (11), दिनांक 12 फरवरी 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

Bhopal, the 12th February 2014

No. F. B-4-10-2013-2-V (11).—In exercise of the powers conferred by Section 78 and 79 of the Registration Act, 1908 (No. 16 of 1908), the State Government, hereby makes the following further amendment in this department's Notification No. 818-635, dated 24th February, 1975, namely:—

AMENDMENT

In the said Notification, in the table of registration fee under sub-heading "Exemption and Reduction", and in article XXII, for item No. 38 and entries relating thereto the following item No. and Entries relating thereto shall be substituted, namely :—

"38 Remission of registration fees chargeable on sale deed / lease deed executed to acquire land in favour of member of a family displaced on account of Narmada Valley Project subject to the following conditions, namely:—

(a) A certificate from the land acquisition officer of the project area is obtained in which the total amount including the amount of compensation item wise of his land and other immovable properties, special rehabilitation grant, rehabilitation grant etc., is mentioned. But the amount of transport fee paid for self transportation of goods shall not be included;

(b) The Agriculture land and / or other immovable property is purchased by the displaced person any where in the State of Madhya Pradesh during the process of rehabilitation;

(c) The position in clause (a) and (b) above is expressed in the instrument of transfer itself;

(d) The eligibility of exemption shall be limited to the amount of Registration fees chargeable on the value of land and / or immovable property or the total amount of consideration paid to the said displaced person as compensation, special rehabilitation grant, rehabilitation grant, Financial assistance etc., whichever is less;

(e) The Registration fees chargeable on the instrument will be reimbured by the Narmada Valley Development Authority to Commercial Tax Department on the basis of demand letter produced by the Sub-Registrar;

(f) Only a displaced family as defined in the Rehabilitation Policy shall be entitled for exemption;

(g) Such landless displaced person and adult son, who want to purchase agricultural land and / or other immovable property from various amounts as Rehabilitation grant, financial assistance given to purchase productive assets, financial assistance given for developed residential plot at the rehabilitation place, shall also be entitled for the said exemption.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAVINDRA KUMAR CHOUDHARY, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 12 फरवरी 2014

क्र. एफ. बी-4-10-2013-2-पांच (12).—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, तथा इस विभाग की अधिसूचना क्र. (20) बी-4-17-2000-वा.कर-पांच, दिनांक 12 जुलाई, 2002 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नर्मदा घाटी परियोजनाओं के कारण विस्थापित हुए किसी परिवार के सदस्य के पक्ष में भूमि अर्जित करने के लिये निष्पादित किये गये विक्रय विलेख / पट्टा विलेख पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए छूट प्रदान करती है, अर्थात् :—

(क) परियोजना क्षेत्र के भू-अर्जन अधिकारी का प्रमाण-पत्र अभिप्राप्त किया गया हो जिसमें उसकी भूमि एवं अन्य अचल सम्पत्ति के लिये मदवार मुआवजे की रकम, विशेष, पुनर्वास अनुदान, पुनर्वास अनुदान आदि को सम्मिलित करते हुए कुल राशि दर्शाई गई हो. किन्तु सामान का स्वयं के द्वारा परिवहन करने के लिये दिये गये परिवहन शुल्क की राशि को सम्मिलित नहीं किया जाएगा;

(ख) विस्थापित व्यक्ति द्वारा पुनर्वास की प्रक्रिया के दौरान मध्यप्रदेश राज्य में किसी भी स्थान पर कृषि भूमि या / तथा अन्य कोई अचल सम्पत्ति क्रय की गई हो;

(ग) उपरोक्त खण्ड (क) एवं (ख) की स्थिति अन्तरण विलेख में स्वत: अभिव्यक्त होती हो;

(घ) छूट की पात्रता भूमि तथा / या अचल सम्पत्ति के मूल्य पर या उक्त विस्थापित व्यक्ति को मुआवजे, विशेष पुनर्वास अनुदान, पुनर्वास अनुदान, वित्तीय सहायता आदि के रूप में भुगतान की गई प्रतिफल की कुल राशि पर, इनमें से जो भी कम हो, प्रभार्य स्टाम्प शुल्क तक सीमित होगी;

(ङ) विलेख पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क की प्रतिपूर्ति, उप पंजीयक द्वारा प्रस्तुत मांग-पत्र के आधार पर नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग को की जाएगी;

(च) पुनर्वास नीति में यथापरिभाषित विस्थापित परिवार को ही छूट की पात्रता होगी;

(छ) ऐसा भूमिहीन विस्थापित व्यक्ति एवं वयस्क पुत्र भी जो पुनर्वास अनुदान, उत्पादक सम्पत्ति के क्रय के लिये दी जाने वाली वित्तीय सहायता, पुनर्वास स्थल पर विकसित आवासीय भू-खण्ड के लिये दी जाने वाली वित्तीय सहायता के रूप में प्राप्त विभिन्न राशियों से कृषि भूमि तथा / या अन्य अचल सम्पत्ति क्रय करना चाहता है, उक्त छूट के लिये हकदार होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 12 फरवरी 2014

क्र. एफ. बी-4-10-2013-2-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की आदेश क्रमांक एफ. बी-4-10-2013-2-पांच (12), दिनांक 12 फरवरी 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

Bhopal, the 12th February 2014

No. F. B-4-10-2013-2-V (12).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) and in supersession of this department's Notification No. (20) B-4-17-2000-CTD-V, dated 12th July 2002, the State Government, hereby remits stamp duty chargeable on deed of sale / lease executed to acquire land in favour of member of a family displaced on account of the Narmada Valley Projects subject to the following conditions, namely:—

(a) A certificate from the land acquisition officer of the project area is obtained in which the total amount including the amount of compensation item wise of his land and other immovable properties, special rehabilitation grant, rehabilitation grant etc., is mentioned. But the amount of transport fee paid for self transportation of goods shall not be included;

(b) The Agricultural land and / or other immovable property is purchased by the displaced person any where in the State of Madhya Pradesh during the process of rehabilitation;

(c) The position in clause (a) and (b) above is expressed in the instrument of transfer itself;

(d) The eligibility of exemption shall be limited to the amount of Stamp duty chargeable on the value of land and / or immovable property or the total amount of consideration paid to the said displaced person as compensation, special rehabilitation grant, rehabilitation grant, financial assistance etc., whichever is less;

(e) The Stamp duty chargeable on the instrument will be reimbursed by the Narmada Valley Development Authority to Commercial Tax Department on the basis of demand letter produced by the Sub-Registrar;

(f) Only a displaced family as defined in the Rehabilitation Policy shall be entitled for exemption;

(g) Such landless displaced person and adult son, who want to purchase agricultural land and / or other immovable property from various amounts as Rehabilitation grant, financial assistance given to purchase productive assets, financial assistance given for developed residential plot at the rehabilitation place, shall also be entitled for the said exemption.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAVINDRA KUMAR CHOUDHARY, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.